# कार्यालय कलेक्टर जिला शिवपुरी, म० प्र०

क्रमांक-/नाजिर/विविध/2020/ 208 शिवपुरी दिनांक 31/12/2020

## -// घोष विक्रय विज्ञप्ति //-

एतद द्वारा सर्व साधारण को इस घोष विक्रय विज्ञप्ति के जरिये सूचित किया जाता है कि जिला कार्यालय कलेक्टर शिवपुरी के निम्नांकित निष्प्रयोजित अनुपयोगी वाहन जहां पर जिस स्थिति में हैं, की घोष विक्रय (नीलामी) गठित समिति के समक्ष दिनांक **15-01-2021** को समय दोपहर **4:00** बजे किया जा रहा है। जिस किसी को इस घोष विक्रय में उपस्थित होना हो वह निर्धारित शर्तो के अधीन उपस्थित हो सकता है।

-:: सम्पति का विवरण ::-

| क्रमांक | वाहन का पंजीयन क्रमांक | वाहन का मेक | वाहन क्रय का वर्ष | अपसेट मूल्य |
|---|---|---|---|---|
| 01 | MP02-RD-3309 | महिन्द्रा एण्ड महिन्द्रा मेजर जीप | 2008 | 48,000.00 |
| 02 | MP02-RD-3310 | महिन्द्रा एण्ड महिन्द्रा मेजर जीप | 2010 | 52,000.00 |

1- वाहन की नीलामी प्रभारी अधिकारी नजारत शाखा शिवपुरी के द्वारा संचालित की जावेगी।

2- उक्त वाहनों की नीलामी हेतु सीलबंद निविदायें दिनांक 15-01-2021 दोपहर 12:00 बजे तक आमंत्रित की जाती हैं।

3- नीलामी में भाग लेने वाले प्रत्येक निविदाकार को नीलामी से पूर्व निविदा के साथ प्रत्येक वाहन के लिए 5000/- की अमानत राशि कलेक्टर जिला शिवपुरी के नाम से राष्ट्रीयकृत बैंक का मूल बैंक ड्राफट संलग्न करना होगा जो नीलामी कार्यवाही समाप्त होने के बाद नियमानुसार रिलीज की जावेगी।

4- प्रत्येक वाहन की पृथक-पृथक निविदायें अमानत राशि के साथ प्रस्तुत करना अनिवार्य है। विलम्ब से प्राप्त निविदाओं पर विचार नहीं किया जावेगा।

5- प्राप्त निविदायें दिनांक 15-01-2021 को सांयकाल 4:00 बजे गठित समिति द्वारा निविदाकारों के समक्ष खोली जावेंगी। इस समय निविदाकार/प्रतिनिधि को उपस्थित रहना होगा, अनुपस्थिति की दशा में किसी भी प्रकार की आपत्ति मान्य नहीं की जावेगी। निर्धारित अपसेट मूल्य से कम दर की निविदा प्राप्त होने पर मान्य नहीं की जावेगी।

6- वाहन की नीलामी समाप्त होने पर अधिकतम राशि की निविदा वाले व्यक्ति को वाहन नीलामी की आधी राशि तत्काल जमा करना होगी तथा शेष राशि नीलामी के अनुमोदन उपरान्त तीन दिवस के भीतर नजारत शाखा में जमा कर वाहन उठाना होगा। नियमानुसार समयावधि में राशि जमा नहीं करने की दशा में जमा की गयी अमानत राशि राजसात कर ली जावेगी एवं शेष राशि बतौर भू-राजस्व बकाया की भांति वसूल की जावेगी।

7- वाहन जिस स्थिति में रखा है/खड़ा है यथास्थिति में नीलाम किया जायेगा।

8- वाहन का निरीक्षण कार्यालय स्थल पर किया जा सकता है।

9- कलेक्टर जिला शिवपुरी को निविदा स्वीकार करने एवं अस्वीकार करने अथवा सम्पूर्ण नीलामी को बिना कारण बताये रोकने का अधिकार होगा।

-2-

10- घोष विक्रय के संबंध में किसी भी बिन्दु पर अंतिम निर्णय लेने का अधिकार कलेक्टर जिला शिवपुरी का होगा जो सर्वमान्य होगा।

11- निविदा स्वीकृत होने के पश्चात उक्त संबंध में उठायी गई आपत्ति पर किसी प्रकार का विचार नहीं किया जावेगा।

12- वाहन खरीददार स्वयं वाहन उठायेगा तथा अपने पक्ष में पंजीयन आदि पर होने वाला व्यय वहन करेगा, शासन द्वारा कोई व्यय वहन नहीं किया जावेगा।

13- वाहन खरीददार जिला परिवहन कार्यालय से शासकीय वाहन नंबर के स्थान पर निजी नम्बर पंजीयन की कार्यवाही स्वयं करेगा, शासकीय वाहन के नम्बर का उपयोग पूर्णतः वर्जित होगा।

(कलेक्टर महोदय द्वारा अनुमोदित)

(मनोज गरवाल)
डिप्टी कलेक्टर
जिला शिवपुरी म० प्र०

पृ०क्र०/नाजिर/विविध/2020/208
शिवपुरी दिनांक 31/12/2020

प्रतिलिपि,

1- सचिव मध्यप्रदेश शासन सामान्य प्रशासन विभाग मंत्रालय भोपाल।

2- आयुक्त, ग्वालियर संभाग ग्वालियर की ओर सूचनार्थ प्रेषित।

3- पुलिस अधीक्षक जिला शिवपुरी।

4- जिला सूचना विज्ञान अधिकारी शिवपुरी की ओर शासकीय बेवसाइड पर सूचना अपलोड करने हेतु।

5- तहसीलदार ....................................जिला शिवपुरी की ओर नोटिस बोर्ड पर चस्पा हेतु।

6- मुख्य नगरपालिका अधिकारी ............................. जिला शिवपुरी की ओर व्यापक प्रचार-प्रसार कराये जाने हेतु।

7- उप संचालक जनसंपर्क जिला शिवपुरी की ओर स्थानीय समाचार पत्रों में प्रकाशनार्थ।

डिप्टी कलेक्टर
जिला शिवपुरी म० प्र०